तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील जारी हुआ
11/5/2026	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणो की बाद तामील प्राप्त हुई। जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पारित किए गए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –90/2026 दायर दिनांक 21/4/2026

1. कैलाश पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. अंजुला पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
3. घीसी पुत्री पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
4. सीता पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. जीतमल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

......विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : – दिनांक 11/05/2026

प्रार्थना पत्र मै/ हम अंजुला ,घीसी पुत्री शंकरलाल, कैलाश पुत्र शंकरलाल, सीता पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0 जरिये अभिभाषक श्री **जगदीश चन्द धाकड़ एवं शिवलाल धाकड़** एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खख्या मौजा बिजौलियाखुर्द पटवार हल्का बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 37 पर अकित आराजी नम्बर 1830/506 कुल किता 1 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 स्थायी के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने वाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। **भु–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट मौजा बिजौलियाखुर्द पटवार हल्का बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 37 पर अकित आराजी नम्बर 1830/506 कुल किता 1 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भुमि विशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निणित होकर नम्बर से क्रम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –90/2026 दिनांक :–21/4/2026

–निर्णय दिनांक – 11/5/26

प्रेषिति :–

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या 90/2026 पत्थरगढी बाबत् ।

1. कैलाश पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. अंजुला पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
3. घीसी पुत्री पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
4. सीता पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. जीतमल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

......विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा बिजौलियाखुर्द पटवार हल्का बिजौलियाखुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 37 पर अकित आराजी नम्बर 1830/506 कुल किता 1 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाखुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा